(1)

संख्या-1056/78-आई0टी0-2001/25आई0टी0-2001

प्रेषक,

अखण्ड प्रताप सिंह
औद्योगिक विकास आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

आई0टी0एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग, लखनऊ दिनांक 01 अगस्त, 2001

विषय: कम्प्यूटर क्रय प्रक्रिया का निर्धारण

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर एंव अन्य सहवर्ती उपकरणों के क्रय के विषय में स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं है, जिसके कारण इस प्रकार के विषय में विसंगतिया उत्पन्न होती है। अत: सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए निम्नलिखित प्रक्रिया की जाती है:-

1. कम्प्यूटर क्रय केवल खुली निविदा से किया जायेगा। क्रय प्रक्रिया में निविदा दो भागों में, जिनमें एक टेक्निकल बिड और दूसरी फाइनेन्शियल बिड अलग-अलग लिफाफों में प्राप्त की जायेगी। सभी कम्प्यूटर विभागों से अपेक्षा की जायेगी कि वह निर्धारित तिथि तक अपनी आवश्यकता सूचना प्रोद्योगिकी विभाग को सूचित कर दें, जिससे उनकी आवश्यकता का समावेश टेण्डर में किया जा सके। क्रय में सामान्तया मात्रा अनुबन्ध हेतु शासकीय नियम लागू होगें। वर्ष में रू0 1.00 करोड की धनराशि से अधिक के कम्प्यूटर क्रय की दशा में विभाग का विकल्प होगा कि वह क्रय प्रक्रिया अपने स्तर पर ही आयोजित करें। उस दशा में विभागीय सचिव क्रय समिति का अध्यक्ष होगा। अन्य प्रक्रिया शासनादेश के अनुसार समान होगी।
2. केवल ओरिजनल कम्प्यूटर इक्विपमेंट मैनुफैक्चरर से क्रय किया जायेगा।
3. बड़ी मात्रा में क्रय के मामले में आपूर्ति/क्रय आदेश एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त करने का निर्णय क्रय समिति द्वारा एल-1 की क्षमता एवं अन्य प्रसांगिक बिन्दुओं को देखते हुए की जायेगी।
4. निविदा में शर्तो में यह शर्त भी रखी जायेगी कि निविदा में उल्लिखित मॉडल की आपूर्ति, आपूर्ति की तिथि को उच्चीकृत विशिष्टियों सहित की जायेगी।
5. क्रय हेतु कम्प्यूटर की तकनीकी विशिष्टियों का निर्धारण निम्नवत् 4 सदस्यीय समिति द्वारा किया जायेगा।
   (1) प्रशासनिक विभाग के सचिव
   (2) सूचना प्रोद्योगिकी विभाग के सचिव
   (3) वित्त विभाग के सचिव
   (4) सूचना प्रोद्योगिकी विभाग का एक विशेषज्ञ, जिसे प्रशासनिक विभाग, सूचना प्रोद्योगिकी विभाग के परामर्श से नामित करेंगें।
   (5) सचिव, औद्योगेक विकास (प्रभारी स्टोर परचेज) या उनके प्रतिनिधि।
   यही समिति क्रय समिति के तौर पर भी कार्य करेगी।

6. टेक्निकल बिड में आपूर्तिकर्ता को सक्षम पाये जाने के बाद फाइनेन्शियल बिड, खोलने के बाद कोई निगोशियेशन नहीं किया जायेगा।

7. रू 10.00 लाख की सीमा तक कम्प्यूटर हार्डवेयर क्रय करने के लिये यदि किसी विभाग ने अपनी आवश्यकता सूचित नहीं की तो वह अनुमोदित पैनल के आपूर्तिकर्ता (ओं) में से किसी को अपने विवेकानुसार क्रयादेश जारी कर सकेंगें। उक्त आदेश समस्त शासकीय विभागो, शासकीय संगठनों के द्वारा किसी भी वित्तीय स्त्रोत से किये गये क्रय पर लागू होंगे क्रय में यह व्यवस्था भी रखी जायेगी कि यदि किसी कारण से आपूर्ति के स्त्रोत में टैक्स या ड्यूटीज घटती है तो मूल्य तद्नुसार घटाया जायेगा।

भवदीय,

ह0/-
(अखण्ड प्रताप सिंह)
औद्योगिक विकास आयुक्त

संख्या-1056(1)/78-आई0टी0-2001/25आई0टी0-2001तद्दिनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 मा0 मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव।
2 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3 स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव।
4 स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के सूचनार्थ।
5 समस्त विभागाध्यक्ष ।
6 प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।
7 समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 शासन।
8 राजकीय मुद्राणालय, लखनऊ।
9 प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
10 प्रबन्ध निदेशक यू0पी0 डेस्को, लखनऊ।
11 प्रबन्ध निदेशक हिलट्रान, लखनऊ।
12 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-
(अनुराग श्रीवास्तव)
विशेष सचिव